न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 09/2015 – आ0नि0

1 श्री तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा बनाम 1. श्री रतनलाल पिता कजोडीमल ब्राह्मण निवासी रूपाहेली तहसील हुरडा हाल मकान नम्बर 105 नया बापू नगर भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी की विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 20.06.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्व प्रेषित कर निवेदन किया गया कि ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1105/1231 रकबा 11.15 बीघा भूमि अप्रार्थी रतनलाल पिता कजोडीमल पारीक निवासी रूपाहेली को आवंटन आदेश दिनांक 20.02.1976 को आवंटन की गयी। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन पश्चात नये आराजी नम्बर 1259/1105, 1260/1105 किता 02 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 35/20.02.1976 हैं। अप्रार्थी ने आवंटन 20.02.1976 के पश्चात् संवत् 2030 में तिल व 2031 में ज्वार की फसल काश्त की हैं। इसके अलावा आदिनांक तक अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में विहित शर्तों की पूर्ति नही की गयी है और न ही आवंटन शर्तों के सर्वर्थ अनुरूप आवंटित कृषि भूमि पर कृषि की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया हैं। जिससे अप्रार्थी को आवंटित की गई कृषि भूमि का आवंटन निरस्त करने योग्य हैं। उक्त भूमि का उपयोग ग्रामवासियान अपने मवेशी चराने के लिए चारागाह के रूप में काम लेते हैं। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को आवंटित कृषि मौजा चेनपुरिया की आराजी नं. 1259/1105, 1260/1105 किता 02 रकबा 11.15 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2015 को इस न्यायालय में पंजीबद्व किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1105/1231 रकबा 11.15 बीघा भूमि अप्रार्थी रतनलाल पिता कजोडीमल पारीक निवासी रूपाहेली को आवंटन आदेश दिनांक 20.02.1976 को आवंटन की गयी। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन पश्चात नये आराजी नम्बर 1259/1105, 1260/1105 किता 02 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 35/20.02.1976 हैं। अप्रार्थी ने आवंटन 20.02.1976 के पश्चात् संवत् 2030 में तिल व 2031 में ज्वार की फसल काश्त की हैं। इसके अलावा आदिनांक तक अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में विहित शर्तों की पूर्ति नही की गयी है और न ही आवंटन शर्तों के सर्वथ अनुरूप आवंटित कृषि भूमि पर कृषि की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया हैं। जिससे अप्रार्थी को आवंटित की गई कृषि भूमि का आवंटन निरस्त करने योग्य हैं। उक्त भूमि का उपयोग ग्रामवासियान अपने मवेशी चराने के लिए चारागाह के रूप में काम लेते हैं। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि मौजा चेनपुरिया की आराजी नं. 1259/1105, 1260/1105 किता 02 रकबा 11.15 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्तें –

1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।

1. क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।

2. लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।

3. आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।

3. यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1105/1231 रकबा 11.15 बीघा भूमि अप्रार्थी रतनलाल पिता कजोडीमल पारीक निवासी रूपाहेली को आवंटन आदेश दिनांक 20.02.1976 को आवंटन की गयी। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन पश्चात नये आराजी नम्बर 1259/1105, 1260/1105 किता 02 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 35/20.02.1976 हैं। रिपोर्ट पटवारी हल्का आपलियास व मौका पर्चा दिनांक 24.05.2015 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2072 के अनुसार आवंटन दिनांक 20.02.1976 के पश्चात् आवंटनसुदा आराजी नम्बर 1259/1105, 1260/1105 किता 02 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि पर अप्रार्थी आवंटी ने

फसल काश्त नहीं की हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में विहित शर्तों की आवंटी द्वारा पालना नही की गयी हैं। जिससे अप्रार्थी को आवंटित की गई कृषि भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना युक्तियुक्त हैं।

आवंटित भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर खाली पडी हुई हैं। भू आवंटन पत्रावली के परीक्षण अनुसार आवंटी का इस भूमि पर कब्जा नहीं हैं एवं भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) अनुसार आवंटी ने आंवटनशुदा भूमि पर काश्त नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन की सभी शर्तों की पालना नहीं की गयी हैं जो प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत होकर आवंटन निरस्त योग्य ठहरता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी के नाम पर किया गया आवंटन निरस्त योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाता है। भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 20.02.1976 को विपक्षी को ग्राम चैनपुरिया तहसील हुरडा में आराजी नम्बर 1259/1105, 1260/1105 किता 02 कुल रकबा 11.15 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार हुरडा बिलानाम दर्ज कर कब्जा सरकार लेवे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार हुरडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

20/6/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा